

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा प्रभाग)

अनौपचारिक रूप से
परामर्शित

प्रेषक,

जार्ज कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
पो0-हिन्, झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक 15/05/2025/

विषय:- सिद्धों कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका को वित्तीय वर्ष 2025-26 में वेतन एवं संविदा आधारित मानदेय एवं अन्य बकाया वेतन के लिये स्थापना व्यय के अन्तर्गत सहायता अनुदान सामान्य (वेतन) मद में रू0 1,07,01,41,000=00 (एक अरब सात करोड़ एक लाख एकतालीस हजार रुपये) मात्र की स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग:- वित्त विभाग का पत्रांक 338/बजट दि0 28.03.2025

आदेश :- स्वीकृत।

राज्य के विश्वविद्यालय/अंगीभूत महाविद्यालय (घाटानुदान प्राप्त अल्पसंख्यक महाविद्यालय एवं संस्कृत महाविद्यालय सहित) के शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारी/पदाधिकारी के आवर्ती व्यय निर्वहन हेतु विश्वविद्यालयों को राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्थापना व्यय के अन्तर्गत सिद्धों कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका के लिए रू0 1,07,01,41,000=00 (एक अरब सात करोड़ एक लाख एकतालीस हजार रुपये) मात्र का बजट कर्णांकित किया गया है। प्राप्त बजट उपबंध से वेतन एवं संविदा आधारित मानदेय एवं अन्य (न्यायालयीय आदेश एवं बकाया वेतन सहित) व्यय हेतु स्तम्भ-4 में उल्लिखित राशि रू0 1,07,01,41,000=00 (एक अरब सात करोड़ एक लाख एकतालीस हजार रुपये) मात्र की स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती है -

विश्वविद्यालय का नाम	शीर्ष एवं विपत्र कोड	वित्तीय वर्ष 2025-26 में बजट उपबंध की राशि	कुल स्वीकृत राशि
1	2	3	4
सिद्धों कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका	2202-सामान्य शिक्षा, 03-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा, 102-विश्वविद्यालय को सहायता, 02-सिद्धों कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका, विस्तृत शीर्ष-06- अनुदान, 46-सहायता अनुदान सामान्य (वेतन) विपत्र कोड-21S22020310202000646	1,07,01,41,000=00	1,07,01,41,000=00

2. उपर्युक्त स्वीकृत की जाने वाली राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र वित्त नियमावली के भाग-1 के नियम-341 एवं 342 के आलोक में महालेखाकार, राँची को अवर सचिव, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा वित्तीय वर्ष समाप्ति उपरांत प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

3. सरकार द्वारा स्वीकृत पदों के विरुद्ध नियमानुसार नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक/पदाधिकारी एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को ही इस राशि से भुगतान होगा तथा राशि की विमुक्ति के समय वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 दिनांक 17.04.1998 एवं परिपत्र संख्या-1800 दिनांक-15.07.2003 का अनुपालन किया जायेगा। राशि विमुक्ति के पूर्व संबंधित विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि शिक्षक/पदाधिकारी एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों का वेतन भुगतान राज्य सरकार द्वारा वेतन निर्धारण पर दी गई स्वीकृति के आधार पर ही की जा रही है। यदि इस आदेश का विचलन होता है तो आगे का भुगतान अविलम्ब बंद कर दिया जायेगा एवं भुगतायी गई राशि की वसूली की कार्यवाई की जायेगी तथा दोषी पदाधिकारी के विरुद्ध झारखण्ड विश्वविद्यालय अधिनियम के संगत धाराओं के तहत नियमानुकूल कार्यवाई की जायेगी।

4. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या-1269 दिनांक-21.09.2023 के आलोक में यह स्वीकृत्यादेश प्रदत्त शक्ति के अधीन है।

5. विश्वविद्यालय द्वारा महालेखाकार को पूर्व में विमुक्त राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के उपरान्त पी0 एल0 खाता से राशि की निकासी की जाएगी।
6. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे, जो सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची से राशि की निकासी कर Book Transfer, बैंक ड्राफ्ट अथवा योजना-सह-वित्त विभाग द्वारा निर्गत किये गये प्रासंगिक आदेश में विहित माध्यम द्वारा सिदों कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका के कुलसचिव को राशि उपलब्ध करायेंगे एवं कुलसचिव उक्त बैंक ड्राफ्ट को चालान के माध्यम से विश्वविद्यालय के लिए संचालित पी0 एल0 खाता संख्या-8448 में जमा करायेंगे।
7. सिदों कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका के कुलसचिव द्वारा योजना-सह-वित्त विभाग के सुसंगत आदेश एवं परिपत्रों तथा झारखण्ड कोषागार संहिता-2016 के नियम- 339-344 के तहत दुमका कोषागार में संचालित पी0 एल0 खाता संख्या-8448 से राशि की निकासी की जायेगी।
8. उक्त स्वीकृत राशि से विश्वविद्यालय एवं उसके अंतर्गत अंगीभूत महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को नियमित वेतन, पूर्व के वित्तीय वर्षों में सृजित बकाया वेतनादि, चालू वित्तीय वर्ष में उद्भूत बकाया वेतनादि तथा न्यायालयीय वाद से आच्छादित मामलों में विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार स्वतः विमुक्ति की जा सकेगी।
9. कंडिका-8 का अनुपालन निम्न शर्तों के अधीन किया जायेगा-
- (क) केवल उन्हीं शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के वेतन/बकाया वेतन का भुगतान किया जाय जिनके वेतन निर्धारण पर विभाग द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया हो।
- (ख) बकाया की गणना विभाग द्वारा अनुमोदित वेतन के आधार पर अनुमान्य तिथि से की जाय।
- (ग) स्वीकृत राशि से ऐसे बकाया का भुगतान न किया जाय, जिसमें केन्द्रांश की राशि सम्मिलित हो।
- (घ) भुगतान करने के पूर्व विश्वविद्यालय का यह दायित्व होगा कि वे गणना की शुद्धता की जाँच कर ले एवं सुनिश्चित हो ले कि बकाये की राशि का भुगतान पूर्व में नहीं किया गया है।
- (ङ) स्वीकृत राशि से शिक्षकेत्तर कर्मियों को 15.11.2000 के पूर्व का बकाया वेतन का भुगतान नहीं किया जाय।
10. उक्त स्वीकृत राशि से विभागीय संकल्प ज्ञापांक 516 दिनांक 02.03.2017 एवं विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1040 दिनांक 11.05.2023 के आलोक में आवश्यकता आधारित नियुक्त शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों का मानदेय का भुगतान किया जा सकेगा।
11. वित्त विभाग के संकल्प ज्ञापांक 759 दिनांक 20.03.2015 के अनुसार राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
12. इस मद में विगत वित्तीय वर्ष के पूर्व वर्ष में निकासी की गयी राशि की विवरणी-
- | स्वीकृत्यादेश संख्या एवं तिथि | निकासी की गई राशि | प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र की राशि |
|-------------------------------|-------------------|--------------------------------------|
| 12/बजट दिनांक 17.04.2023 | 87,79,88,000/- | 85,75,33,004/- |
| 367/बजट दिनांक 08.02.2024 | | |
13. राशि की विमुक्ति निम्न शर्तों के अधीन की जा रही है -
- (i) विश्वविद्यालय को निदेश दिया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित दर पर ही महंगाई भत्ता का भुगतान किया जाए।
- (ii) विश्वविद्यालय नवांगीभूत महाविद्यालय के किसी ऐसे शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी से कार्य नहीं लेगा जिसका नाम अग्रवाल कमीशन अथवा एस0बी0सिन्हा कमीशन के प्रतिवेदन में सकारात्मक अनुशंसा के साथ नहीं है। अगर नियमित एवं अवैध रूप से किसी शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी से सेवा लिये जाने के फलस्वरूप उन्हें किसी प्रकार का भुगतान देय होता है तो इस अनियमित भुगतान का दायित्व विश्वविद्यालय के उपर होगा एवं विश्वविद्यालय से संबंधित पदाधिकारी/पदाधिकारियों के विरुद्ध झारखण्ड विश्वविद्यालय अधिनियम के संगत धाराओं के तहत नियमानुकूल कार्रवाई की जायेगी।
- (iii) यदि कोई शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारी अंगीभूत महाविद्यालय में प्रतिनियोजित है तो उनके वेतनादि का भुगतान उनके पैतृक महाविद्यालय से किया जायेगा।
- (iv) राज्य सरकार द्वारा वेतन निर्धारण एवं प्रोन्नति हेतु निर्गत नियम/विनियमन/परिनियम तथा विभिन्न संकल्पों के आलोक में ही शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों का वेतन भुगतान सुनिश्चित किया जाय। यदि भविष्य में किसी नियम/विनियमन/परिनियम अथवा संकल्प में अपेक्षित संशोधन की जाती है, तो विश्वविद्यालय द्वारा वेतन भुगतान के समय उक्त संशोधन के आलोक में ही कार्रवाई की जायेगी।

(v) विश्वविद्यालय के वित्त पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि सरकार द्वारा स्वीकृत पदों के विरुद्ध कार्यरत शिक्षक/पदाधिकारी/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को ही स्वीकृत राशि से भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा झारखण्ड वित्त नियमावली के भाग-1 के नियम-341 एवं 342 के आलोक में महालेखाकार एवं विभाग को उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये ताकि इसे महालेखाकार कार्यालय को भेजा जा सके।

(vi) विश्वविद्यालय को स्पष्ट निदेश दिया जाता है कि वह वेतन मद की राशि का विचलन किसी भी परिस्थिति में नहीं करेगा। राशि के विचलन होने पर संबंधित कुलसचिव/वित्त पदाधिकारी/वित्त परामर्शी की जबाबदेही होगी।

(vii) कोई विभाग/महाविद्यालय या संकाय में नामांकन एवं शिक्षण की दृष्टि से कोई भी पद अव्यवहार्य (Non viable) हो तो इसकी सूचना शीघ्र प्रशासी विभाग को दी जाए।

(viii) संबंधित पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि विश्वविद्यालय/महाविद्यालय कर्मियों हेतु स्वीकृत भत्तों का ही भुगतान किया जाय।

(ix) प्रत्येक माह के 1 तारीख को शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों का वेतानादि का भुगतान किया जाना विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

14. विश्वविद्यालय के पी0 एल0 खाता में इस मद में पूर्व वित्तीय वर्ष में प्राप्त राशि की अधिशेष राशि इस वित्तीय वर्ष में प्राप्त राशि के साथ जोड़ी एवं व्यय की जा सकेगी।

15. विभागीय संकल्प 114/बजट दिनांक 01.06.2018 में अंकित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

16. प्रत्येक माह विश्वविद्यालय के कुलसचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा कोषागार में संधारित धन एवं ऋण ज्ञापन का मिलान किया जायेगा।

17. महालेखाकार का कार्यालय, अंकेक्षण/वित्त (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निकासी की गई राशि के अंकेक्षण का अधिकार होगा।

18. प्रारूप पर विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

19. प्रस्ताव एवं प्रारूप पर विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

20. स्वीकृत राशि की निकासी हेतु तैयार विपत्र निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा।

विश्वासभाजन,


(जैज कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव।

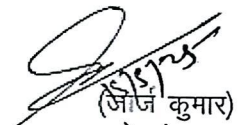
ज्ञापांक-3/अनुदान-01/2018(उ0शि0) 28/04/25 /रॉची, दिनांक- 15/05/2025
प्रतिलिपि -कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, दुमका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(जैज कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-3/अनुदान-01/2018 (उ0शि0) 28/04/25 /रॉची, दिनांक- 15/05/2025

प्रतिलिपि -विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव/कुलसचिव, सिदों कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी(उच्च शिक्षा)/ लेखा शाखा, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित तथा नोडल पदाधिकारी को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(जैज कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव।

8